फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

पत्रांक 4063 / सम्बद्धता / 2011 दिनांक 14/5/2011

सेवा में,

प्रबन्धक,
राजा देवी महिला महाविद्यालय
सल्लहपुर, भटनी, देवरिया।

विषयः स्नातक स्तर पर **शिक्षा संकाय** के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांकः 11.05.2011 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है –

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	श्री राकेश कुमार सिंह	प्रवक्ता, बी0एड0
2.	श्री मुश्ताक आलम	प्रवक्ता, बी0एड0
3.	श्री आनन्द कुमार सिंह	प्रवक्ता, बी0एड0

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्याः 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांकः 09., मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्याः 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः 1. शासनादेश संख्याः 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांकः 09., मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्याः 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव
14/05/2011